

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 मार्च 2023 — फाल्गुन 22, शक 1944

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 (फाल्गुन 22, 1944)

क्रमांक-3194/वि.स./विधान/2023.— छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023 (क्रमांक 1 सन् 2023) जो सोमवार, दिनांक 13 मार्च, 2023 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

हस्ता. /—

(दिनेश शर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 1 सन् 2023)

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2023

छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) को और संशोधित करने हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त नाम 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहलायेगा।

धारा 87 का 2. छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 87 की उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ा जाये, अर्थात्:-

“(3) इस अधिनियम में अन्यत्र अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, ऐसे मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को, जो विहित योग्यता रखते हों, राजपत्रित अधिकारी बना सकेगा:

स्पष्टीकरण-1: मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी बनाने हेतु योग्यता की शर्तें तथा प्रक्रिया ऐसी होंगी, जैसा कि इस प्रयोजन हेतु बनाये गये नियमों द्वारा विहित किया जाये।

स्पष्टीकरण-2: इस उप-धारा में अंतर्विष्ट किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि मुख्य नगरपालिका

अधिकारी की किसी भी अन्य सेवा शर्त या प्रास्थिति में किसी भी प्रकार का प्रभाव पड़ता है या परिवर्तन आता है।”

3. (1) मूल अधिनियम की धारा 339—ख की उप—धारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्—

“(क) नगरपालिका क्षेत्र या नगर पंचायत क्षेत्र, जैसी भी स्थिति हो, की प्रत्येक आवासीय कालोनी में, कालोनी निर्माता (कालोनाईजर) द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए तथा निम्न आय वर्ग के लिए, पृथक रूप से, विकसित भू—खण्ड और/या निर्मित आवास/प्रकोष्ठ, ऐसी संख्या में तथा ऐसे आकार में, जैसा कि राज्य शासन द्वारा विहित किया जाये, आरक्षित रखना होगा:

परंतु यह कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षित किये जाने वाले विकसित भू—खण्डों और/या निर्मित आवासों/प्रकोष्ठों की कुल संख्या, कालोनी में विकसित भू—खण्डों और/या निर्मित आवासों/प्रकोष्ठों की कुल संख्या का 9% से कम नहीं होगा तथा निम्न आय वर्ग के लिए यह 6% से कम नहीं होगा:

परंतु यह और कि राज्य शासन, नियमों द्वारा यह प्रावधानित कर सकेगा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हेतु कालोनी निर्माता (कालोनाईजर), विकसित

भू-खण्ड और/या निर्मित आवास/प्रकोष्ठ, कालोनी से भिन्न अन्यत्र किसी ऐसे स्थान पर उपलब्ध करा सकेगा, जो रथान, इस संबंध में विहित शर्तों के अनुसार मान्य हो।

(2) उप-धारा (2) का लोप किया जाये।

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

यतः, नगरपालिकाओं के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को, उनके सेवा संबंधी वर्तमान प्रावधानों के अधीन, राजपत्रित अधिकारी घोषित किया जाना संभव नहीं है, यह उनके प्रति न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वे व्यापक लोक सेवा कार्यों से जुड़े हैं, विशेषकर संविधान के 74वें संशोधन के बाद।

इसलिये मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को राजपत्रित अधिकारी घोषित किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 87 में संशोधन प्रस्तावित है।

यतः, प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए आवास—निर्माण महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह क्षेत्र सबके लिए आवास की मूल आवश्यकता की पूर्ति तो करता ही है साथ में बड़े पैमाने पर रोज़गार का सृजन भी करता है। छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) में यह सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान हैं कि निजी क्षेत्र के भवन निर्माता, आवासीय कालोनी का विकास करते समय, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) तथा निम्न आय वर्ग (एलआईजी) की आवासीय आवश्यकताओं की अनिवार्य रूप से पूर्ति भी करें।

विगत वर्षों में, विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत प्रदेश में शहरी गरीबों के लिए अनेक आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया है। इन लक्ष्य समूहों की मांग और क्य क्षक्ति में भी बदलाव आया है। अतएव, इन वर्गों की नई अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए और लचीले कानून द्वारा भवन निर्माताओं को आकर्षित करने लिए तथा आवास निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिये यह आवश्यक हो गया है कि ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी आवासों से संबंधित प्रावधानों को पुनरीक्षित किया जाये। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 339—ख में उपयुक्त संशोधन करना प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि पहले से ही कुछ अन्य प्रदेशों में ऐसे संशोधन हो चुके हैं।

वर्तमान विधेयक से उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति अपेक्षित है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया
नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री,
(भारसाधक सदस्य)

रायपुर,
दिनांक 27 फरवरी, 2023

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगरपालिका (सशोधन) विधेयक, 2023 की धारा 87 एवं धारा 339—ख में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) तथा उपधारा (2) का सुसगत उद्धरण—

धारा 87. मुख्य नगरपालिका अधिकारी—

(1) प्रत्येक परिषद का एक मुख्य नगरपालिका अधिकारी होगा जो परिषद का प्रधान कार्यपालक अधिकारी होगा और परिषद के समस्त अन्य अधिकारी तथा सेवक उसके अधीनस्थ होंगे।

(2) परिषद का मुख्य नगरपालिका अधिकारी राज्य नगरपालिका सेवा (कार्यपालक) का सदस्य होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

धारा 339—ख.— कालोनियों का विकास—

(क) नगरपालिका क्षेत्र की प्रत्येक आवासीय कालोनी में, कालोनी निर्माता (कालोनाइजर) द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, कुल क्षेत्र में से पद्रह प्रतिशत भूमि, मुख्य नगरपालिका अधिकारी को अन्तरित किया जायेगा, अथवा निर्मित आवास गृह, पात्र हितयहियों को ऐसी शर्तों पर तथा ऐसी रीति में अंतरित किया जायेगा, जैसा कि विहित किया जाए:

परतु यह कि ऐसे आवास गृहों का आकार, अवस्थिति एवं सख्त्या एवं अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए।

(2) उपधारा (1) के अधीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये भू—भाग हस्तांतरित करने के अतिरिक्त, कालोनाइजर अपनी आवासीय कालोनी में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को निर्धारित शर्तों पर विक्रय के लिए कम से कम दस प्रतिशत विहित आकार के पूर्ण विकसित भू—खण्ड भी आरक्षित रखेगा या संनिर्मित आवासीय मकान/प्रकोष्ठ भवन देने का वैकल्पिक प्रस्ताव करेगा।

**दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा**